कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

आदेश

2/नि॰ स्था॰ चालक (प्रो॰) (13) – 01/2011

वित्त विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना संख्या 7566 दिनांक 14.07.2010 के द्वारा अधिसूचित बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2010 में निहित प्रावधानों अन्तर्गत सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय चालक संवर्ग के निम्नांकित कर्मी को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 11.02.16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही कंडिका–5(ii) में लिए गए निर्णयानुसार दिनांक 01.01.2009 तक अथवा उसके बाद 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के पश्चात् द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लाभ की स्वीकृति उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि के प्रभाव से सम्बन्धित कॉलम में अंकित ग्रेड पे में प्रदान की जाती है।

क्र॰ स॰	नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	वित्तीय उन्नयन की तिथि/ग्रेड पे			अभ्युक्ति
				प्रथम	द्वितीय	तृतीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री वीरेन्द्र प्रसाद मिश्र	10.02.67	25.07.89	X	25.07.09 2800	X	

2॰ उपरोक्त वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 630 दिनांक 21.01.2010 की कंडिका–12 के आलोक में किया जाएगा तथा वेतन निर्धारण के पूर्व उपरोक्त सम्बन्धित चालक की मूल सेवा पुस्तिका की पुनः जाँच करके संतुष्ट हो लिया जाएगा कि उनकी सेवा सम्पुष्ट है, द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि को उपरोक्त वर्णित वांछित अवधि की नियमित एवं लगातार सेवा पूर्ण कर लिए हैं।

3॰ वित्त विभाग के पत्र संख्या 3637/वि॰, दिनांक 10.04.2013 के आलोक में लाभान्वित कर्मी मौलिक नियमावली के नियम–22(1)(ए)(1) के प्रावधान के तहत् वित्तीय उन्नयन की तिथि को अथवा अगली वेतनवृद्धि की तारीख को वेतन निर्धारण के संबंध में इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर विकल्प अपने कार्यालय प्रधान को दे सकेंगे। समय सीमा के अन्दर विकल्प आवेदन नही देने की स्थिति में वेतन निर्धारण वित्तीय उन्नयन की तिथि से किया जाएगा तथा एक बार किया गया विकल्प प्रयोग अन्तिम होगा।

5॰ उपरोक्त वित्तीय उन्नयन के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मी को प्रदत्त एम॰ए॰सी॰पी॰ योजना का लाभ तद्नुसार रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा किसी प्रकार के अधिक भुगतान की राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति एक मुश्त कर ली जाएगी, जो उन्हें स्वीकार होगा।

6॰ उपरोक्त आदेश में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

12.4.16

(मुकुल कुमार सिन्हा)
संयुक्त निबंधक (पणन),
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2995 /पटना, दिनांक 12.4.16
2/नि॰ स्था॰ चालक (प्रो॰) (13) – 01/2011

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी– 01–नि॰, 02–नि॰ एवं 07–नि॰ तथा सभी सम्बन्धित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.4.16

संयुक्त निबंधक (पणन),
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।